



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2010/माघ 27, 1931

No. 73]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2010/MAGHA 27, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 82(अ).—राष्ट्रपति अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 में,—

(क) अनुसूची 2 में,—

(i) वित्त मंत्रालय से संबंधित क्रम सं. 1, आर्थिक कार्य विभाग मद (क) के सामने स्तम्भ (7) में अंक "13" के स्थान पर, अंक "14" रखे जाएंगे;

(ii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित क्रम सं. 12, टैरिफ आयोग से संबंधित मद (ग) के सामने स्तम्भ (7) में अंक "5" के स्थान पर, अंक "4" रखा जाएगा;

(ख) अनुसूची 4 में,—

(i) उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तम्भ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है या ऐसे अधिकारी जिनकी समूह 'क' पदों में नियमित पच्चीस वर्ष की सेवा है जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए”;

(ii) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने स्तम्भ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में अकृत्यकारी चयन श्रेणी सहित आठ वर्ष की नियमित सेवा है या ऐसे अधिकारी जिनकी समूह 'क' पदों में सतरह वर्ष की नियमित सेवा है जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा की अकृत्यकारी चयन श्रेणी की गई सेवा भी है) में होनी चाहिए।

[फा. सं. 11011/1/2003-आईईएस (जिल्द. 4)]

राजन कुमार, सलाहकार

पाद टिप्पण.—भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2008, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ), तारीख 22 मई, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ), तारीख 1 जून, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ), तारीख 1 जून, 2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 831(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2009 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2010 द्वारा किए गए थे।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2010

**G.S.R. 82(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Economic Service Rules, 2008,—

(a) in Schedule II,—

- (i) against serial number 1 relating to the Ministry of Finance, in item (a) relating to Department of Economic Affairs, in column (7), for the figures “13”, the figures “14” shall be substituted;
- (ii) against serial number 12 relating to the Ministry of Commerce and Industry, in item (c) relating to Tariff Commission, in column (7), for the figure “5”, the figure “4” shall be substituted;

(b) in Schedule IV,—

- (i) against serial number 2, relating to Higher Administrative Grade, in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Officer in the Senior Administrative Grade with three years of regular service in the grade or officers with twenty five years of regular service in Group ‘A’ posts in the service out of which at least one year of regular service should be in the Senior Administrative Grade”;

- (ii) against serial number 3, relating to Senior Administrative Grade, in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Officer in the Junior Administrative Grade with eight years of regular service in the grade including Non-Functional Selection Grade or officers with seventeen years of regular service in Group ‘A’ posts in the service out of which at least four years of regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade)”.

[F. No. 11 011/1/2003-IES (Vol. IV)]

RAJAN KUMAR, Adviser

**Note.**—The Indian Economic Service Rules, 2008 were published in the Gazette of India, *vide*, notification number G.S.R. 435(E), dated the 6th June, 2008 and subsequently amended, *vide*, notification number G.S.R. 648(E), dated the 10th September, 2008, notification number G.S.R. 753(E), dated the 24th October, 2008, notification number G.S.R. 350(E), dated the 22nd May, 2009, notification number G.S.R. 376(E), dated the 1st June, 2009, notification number G.S.R. 377(E), dated the 1st June, 2009, notification number G.S.R. 831(E), dated the 18th November, 2009, and notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2010.